

सीमा शुल्क आयुक्त (सामान्य), मुंबई

बनाम

अब्दुल्ला कोयलोथ

(सिविल अपील की संख्या 1608/2005)

29 अक्टूबर 2010

[डी.के. जैन और टी.एस. ठाकुर, जे.जे.]

सीमा शुल्क अधिनियम 1962;

धारा 14(1) आकलन के प्रयोजनों के लिए आयातित वस्तुओं का मूल्यांकन आयातित वस्तुओं के मूल देश मात्रा और मूल्य के संबंध में मूल्यांकन गलत घोषणा. हालांकि न्यायाधिकरण निर्धारिती द्वारा घोषित लेन.देन मूल्य को स्वीकार। निर्धारित 14(1) अधिनियम और 1988 के नियमों के नियम 4(2) में विनिर्दिष्ट. विशेष परिस्थितियों के अभाव में वाणिज्य के सामान्य अनुक्रम में आयातक द्वारा विक्रेता को भुगतान की गई कीमत को लेनदेन मूल्य लिया जाना है निर्धारित ने स्वीकार किया कि घोषित और जब्त की गई वस्तुएँ के बीच में अन्तर था और बाजार की पूछताछ के बाद आया मूल्य उसे स्वीकार्य था इन परिस्थितियों में न्यायाधिकर धारा 14(1) सपठित 1988 के नियमों में परिकल्पित प्रक्रिया

को लागू करने में विफल रहा। न्यायाधिकरण का आदेश अपास्त किया और पुन विचार करने हेतु मामला उस परेषित किया गया सीमा शुल्क मूल्यांकन आयातित वस्तुओं के मूल्य निर्धारण नियम 1988.नियम 3(ii), 4(2) और 5 से 8 तक.

प्रत्यर्थी की स्वामित्व फर्म ने विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं की खेप का आयात किया जिसमें कांच के बर्तनों, हेयर ड्रायर आदि से लेकर गैस से भरे सिलेंडर और रेफ्रिजरेट 22 गैस आर 22 थे। परविष्टि 3 मई 2002 का बिल 3 मई 2002 को पेश किया गया था। वस्तुओं को जब्त किया गया क्योंकि यह पाया गया कि आयातित वस्तुओं के मूल देश मूल्य एवं मात्रा के संबंध में गलत घोषणा की गई थी एवं आर 22 गैस से भरे सिलेंडरों के आयात हेतु वास्तविक उपयोगकर्ता लाईसेंस नहीं था। सीमा शुल्क आयुक्त ने प्रत्यर्थी द्वारा घोषित मूल्य को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 14 का उद्देश्य के लिए अस्वीकार कर दिया। आयुक्त ने माना कि 1988 के नियमों के नियम 6 ए और 7 के तहत। तदनुसार उन्होंने माल के आकलन योग्य मूल्य और उन पर सीमा शुल्क के रूप में शुल्क मांग की पुष्टि की इसके अतिरिक्त आयुक्त ने अदायगी पर प्रतिशत का विकल्प देते हुए धारा 111(डी) व .एम. के तहत वस्तुओं को जब्त करने का आदेश दिया हालांकि आर.22 गैस से भरे सिलेंडरों को अधिनियम की धारा 111(डी) के तहत पूरी तरह से जब्त कर लिया गया

था क्योंकि वास्तविक उपयोगकर्ता लाइसेन्स का अभाव था। सीमा शुल्क आबकारी व सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण ने आर.22 गैस सिलेंडरों के संबंध में आदेश की पुष्टि की लेकिन अन्य वस्तुओं के संबंध में इसने निर्धारिती के दावे को स्वीकार किया। राजस्व द्वारा दायर तत्काल अपील में अपीलार्थी के लिए यह तर्क दिया कि जैसा कि प्रविष्टि पत्र में वस्तुओं की मात्रा, माल के मूल देश एवं वस्तुओं के मूल्य के संबंध में गलत घोषणा की गई अतः लेन.देन मूल्य को अधिनियम की धारा 14(1) और 1988 के नियमों के अधिनियम और नियम 4 (2) के संदर्भ में अस्वीकार किया जाना था और समान वस्तुओं के समकालीन आयात के अभाव में नियम 7 1988 नियम लागू होगा।

न्यायालय द्वारा अपील को स्वीकार करते हुये अभिनिर्धारित किया गया।

1.1 अधिनियम की धारा 14(1) जैसा कि यह अधिनियम में मौजूद थी वेंट टाइम और 1988 के नियमों के नियम 4 दोनों में यह प्रावधान है कि एक आयातक द्वारा वाणिज्य के सामान्य अनुक्रम में विक्रेता को जो भुगतान किया जाता है। उसे अधिनियम की धारा 14(1) में और नियम 4(2) में विनिर्दिष्ट विशेष परिस्थितियों के अभाव में लेनदेन मूल्य के रूप में लिया जाएगा। इसीलिए सीमा शुल्क अधिकारी आयातक की घोषणा से बाध्य है जब तक कि कुछ समकालीन साक्ष्यों के आधार पर राजस्व

परदर्शित नहीं कर दें कि चालान सही मूल्य को परतिबिंबित नहीं करता है। देखिए सीमा शुल्क आयुक्त, मुंबई बनाम जे.डी. ऑर्गेकेम लिमिटेड और सीमा शुल्क आयुक्त कलकता बनाम दक्षिण भारत टेलिविजन पी लिमिटेड यह केवल तभी होता है जब नियम 4 के तहत लेन देन मूल्य को अस्वीकार कर दिया जाता है। कि नियम 3,,2 के आधार पर 1988 के नियमों के नियम 5 से 8 तहत मूल्य करमिक रूप से निर्धारित किया जाएगा। (पैरा 15,)[292.एच;293.ए.सी,]

सीमा शुल्क आयुक्त, मुंबई बनाम जे.डी. ऑर्गेकेम लिमिटेड 2008 (6) एससीआर 200 = (2008) 16 सेकंड 576; और सीमा शुल्क आयुक्त, कलकता बनाम साउथ इंडिया टेलीविजन (पी) लिमिटेड 2007 (8) एससीआर 95 = (2007) 6 एससीसी 373; सीमा शुल्क आयुक्त, मुंबई बनाम ब्यूरो वेरिटास एवं अन्य। 2005 (2) एससीआर 118 = 2005 (3) एससीसी 285; और आयशर ट्रेक्टर्स लिमिटेड, हरियाणा बनाम सीमा शुल्क आयुक्त, मुंबई 2000 (4) सप्ल। एससीआर 597 = (2001) 1 सेकंड 315 - पर निर्भर।

प्रशांत ग्लास वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम कलेक्टर ऑफ कस्टम्स, कलकता 1996 (87) ई.एल.टी. 518 (त्रि.-डेल); प्रशांत ग्लास वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर 1997 (89) ई.एल.टी. ए 179; वर्षा प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य। बनाम भारत संघ एवं अन्य। 2009

(1) एससीआर 896 = (2009) 3 एससीसी 365; और कलेक्टर ऑफ कस्टम्स, कलकत्ता बनाम संजय चंदीराम 1995 (1) सप्ट.एससीआर 19 = 1995 (4) सेकंड 222, उद्धृत।

1.2 विवादित आदेश के पढ़ने से यह स्पष्ट है कि अभिलेख उभरने वाले तत्कालिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए न्यायाधिकरण 1988 के नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 14;1 द्वा के तहत आयातित वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने हेतु परिकल्पित परकिरया को लागू करने में विफल रहा है। न्यायाधिकरण का निष्कर्ष कि चालान का मूल्य सही नहीं होने के सबूत के अभाव में और आगे समान वस्तुओं के समकालीन आयात की अनुपस्थिति में अपीलार्थी द्वारा घोषित मूल्य को लेन.देन मूल्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए व खारिज नहीं किया जावे, स्पष्टरूप से विकृत है व बनाये नहीं रखा जा कता विशेष रूप से विशेष रूप से इस तथ्य के प्रकाश में कि बाजार से राजस्व द्वारा एकत्र की गई जानकारी जिसकी सत्यता पर प्रत्यर्थी द्वारा सवाल नहीं उठाया गया था की न्यायाधिकरण द्वारा जाँच की नहीं गई। महत्वपूर्ण रूप से न्यायाधिकरण ने अधिनियम की धारा 108 के तहत 13 सितंबर 2002 को प्रतिवादी द्वारा दिए गए बयान की भी अनदेखी की है जिसमें उसने स्वीकार किया है कि घोषित वस्तुओं और सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा वास्तव में जब्त की गई

वस्तुओं के बीच अंतर थाए और कि बाजार पूछताछ के बाद आया मूल्य स्वीकार्य था उसे प्रत्यर्थी द्वारा तो आयुक्त और ही न्यायाधीकरण के समक्ष उक्त कथन का विरोध किया गया था (पैरा 18,) [295.ई.जी; 295.ए,]

1.3 मामलें के तथ्य व परिस्थितियों में पूर्वगामी चर्चा के आलोक में हम इस राय के हैं कि न्यायाधिकरण को पूरे मामले की नए सिरे से जांच करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से मूल्यांकन के तरीके मोचन जुर्माना और दंड के संबंध में एनटीजतनए अपील स्वीकार की जाती है। विधि अनुसार दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर नए सिरे से विचार करने के लिए न्यायाधिकरण को वापस भेजा जाता है। (पैरा 19,) [295.ए.बी,]

#### केस कानून संदर्भ:

1996 (87) ई.एल.टी. 518 (त्रि.-डेल) का हवाला दिया गया पैरा 11

1997 (89) ई.एल.टी. ए 179 में का हवाला दिया गया पैरा 11

2000 (4) सप्ल. एससीआर 597 पर निर्भर था पैरा 11

2009 (1) एससीआर 896 का हवाला दिया गया पैरा 11

2008 (6) एससीआर 200 जी पर निर्भर था

पैरा 15 2007(8) एससीआर 95 पर निर्भर था

पैरा 15 2005 (2) एससीआर 118 पर निर्भर था

पैरा 15 1995 (1) पूरक एससीआर 19 ने का हवाला दिया

पैरा 18

सिविल अपीलिय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं.1608/2005

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलिय न्यायाधिकरण, पश्चिम क्षेत्रीय पीठ, मुंबई के अपील क्रमांक/493/2003/मम में, पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 10.12.2004 से।

के.स्वामी टी. वी. रत्नम डी. एल. चिदानंद बी. कृष्ण प्रसाद अपीलार्थी की ओर से

तरुण गुलाटी, रमेश सिंह, किशोर कुणाल रॉनी जॉन प्रवीण कुमार। अपीलार्थी के लिए

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश डी. के. जैन जे. द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था :-

1. राजस्व द्वारा इस अपील अतर्गत धारा 130 ई वीं सीमा शुल्क अधिनियम 1962 ; संक्षेप में अधिनियम 1962 के तहत सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलिय न्यायाधिकरण द्वारा 10 दिसंबर 2004 को पारित आदेशको चुनौती दी गई है। न्यायाधिकरण द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा की गई अपील को इस आधार पर स्वीकार किया गया है कि प्रविष्टि बिल में प्रत्यर्थी द्वारा घोषित निर्धारणिय मूल्य अधिनियम की धारा 14 के

अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए।

2. मेसेर्स आई पी. सी. ओ. एंटरप्राइज, प्रत्यर्थी की एक स्वामित्व फर्म ने विभिन्न प्रकार की खेप का आयात किया। जिसमें कांच के बर्तनों हेयर ड्रायर आदि से लेकर उपभोक्ता वस्तुओं तक गैस से भरे सिलेंडर और रेफ्रिजरेट-22 गैस;(आर.22)थे। मेसर्स आईपीसीओं के लिए मेसर्स वेघा शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उक्त माल के लिए प्रविष्टि का बिल 3 मई 2002 को पेश किया गया था जिसके अन्तर्गत माल का कुल का कुल आकलन योग्य मूल्य 6,75,796.90/- की एवं ड्यूटी का दायित्व 3,86,352/- को घोषित किया गया था।

3. प्रविष्टि बिल की जांच करने पर 17 अप्रैल 2002 के चालान और एक मेसर्स नाईजर टेडिंग दुबई द्वारा जारी पैकिंग सूची में कुछ विसंगतियों को केन्द्रीय इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा देखा गया और इसलिए पहले जाँच मूल्यांकन का आदेश दिया गया। आदेश दिया। इसके बाद माल की 100% जांच 13.14 मई 2002 को की गई। और यह पाया गया कि आयातित वस्तुओं के मूल देश मूल्य एवं मात्रा के संबंध में गलत घोषणा की गई थी

4. 31 मई 2002 कोए प्रत्यर्थी को केंद्रीय खुफिया इकाई द्वारा तलब किया गया था और धारा 108 अधिनियम के तहत उसका बयान दर्ज किया गया । इसके बाद एक और बयान 6 जून 2002 को दर्ज किया गया था जिसमें प्रत्यर्थी ने कहा था कि वह नहीं जानता था कि उसे आयात के

लिए लाइसेंस की आवश्यकता है एवं कुछ आयातित वस्तुओं के उत्पत्ति के देश बाबत इसे याद नहीं है।

5. प्रवेश केबिल में बड़ी संख्या में विसंगतियां पाए जाने के कारण प्रवेश का और यह तथ्य कि आर.22 गैस से भरे सिलेंडरों के आयात हेतु वास्तविक उपयोगकर्ता लाइसेंस की आवश्यकता थी माल को 4 जुलाई 2002 को जब्त कर लिया गया था।

6. 26 अगस्त 2002 को प्रत्यर्थी ने केंद्रीय खुफिया इकाई को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा बाजार सर्वेक्षण से ज्ञात थोक मूल्यों को उन्होंने स्वीकार किया है और यह कि मामले को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाए और निपटाया जाए इसके बाद शुल्क देयता की गणना नियम 6 ए और 7(1) सीमा शुल्क मूल्यांकन आयातित वस्तुओं के ;मूल्य निर्धारण के नियम 1988 संक्षेप में के संदर्भ में की गई। क्योंकि यह देखा गया था कि गलत घोषणा के कारण नियम 3(i) और 4 लागू नहीं थे और नियम 5 और 6 को लागू नहीं किया जा सका क्योंकि समरूप या समान वस्तुओं का कोई समकालीन आयात नहीं था।

7. 13 सितंबर 2002 को प्रत्यर्थी का अधिनियम की धारा 108 के तहत एक बौर बयान दर्ज किया गया था जिसमें उसने अन्य बातों के साथ-साथ स्वीकार किया कि घोषित वस्तुओं और वास्तव में पाई गई और पंचनामा के तहत जब्त की गई वस्तुओं में अंतर था। पंचनामा और बाजार

सर्वेक्षण में पाई गई वस्तुओं की कीमतें उसे स्वीकार्य थी।

8. 21 अप्रैल 2003 के अपने आदेश के अनुसार कस्टम आयुक्त प्रवेश के बिल में घोषित निर्धारणीय मूल्य को अस्वीकार कर दिया। कुछ क्रॉकरी वस्तुओं जिनके संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया था, के बारे में विचार करते हुए आयुक्त ने इस प्रकार देखा:

"जहां तक इस तर्क का संबंध है कि पैकिंग सूची और चालान में अनजाने में "सेट" शब्द को हटा दिया गया था और अधिकारियों ने इसे सेट के स्थान पर एक टुकड़े के रूप में लिया मैंने पाया कि जो कोई भी इनवॉइस और पैकिंग सूची में उल्लिखित डिनर सेट हैं सेट में विशेष रूप से मात्रा उल्लिखित की गई है जबकि अन्य वस्तुओं के लिए घोषणा टुकड़ों में थी। यदि विद्वान अधिवक्तागण का तर्क है कि घोषित मूल्य एक सेट के लिए है तो इन क्रॉकरी वस्तुओं का मूल्य इतना कम हो जाएगा कि इस तरह का प्रस्ताव अपने आप में हास्यास्पद लगता है। उदाहरण के लिए स्थानीय बाजारों में एकल आर्क ब्रांड 25 सी. एल. फ्रांस मूल के कांच के मग की थोक कीमत है रु 40/- और 6 मग के एक सेट का रु 240/- है एक ही मग का घोषित मूल्य यदि यह स्वीकार किया जाता है कि यह मूल्य 6 मग के एक सेट के

लिए हैं जैसा कि विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है। इस प्रकार 6 टुकड़े के एक सेट की कीमत 0.41 या 2.46 बनेगा। यह किसी भी समझ से परे है कि कैसे स्थानीय बाजारों में इस मग के एक या सेट की थोक कीमत क्रमशः 40/- और 240/- रूपए हो सकती है जो इतने सस्ते हैं जैसे कि आयातकों द्वारा घोषित; (एसआईसी) किए गए हैं। इसी तरह अन्य सभी क्रॉकरी वस्तुओं के मामले में यही स्थिति है। अधिवक्ताओं ने मुझे इस तरहका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। कि वस्तुओं के बाजार मूल्यों में और घोषित कीमतें भारी अंतर कैसे हो सकता है। और दूसरी ओर श्री अब्दुल्ला कोयलोथ आयात फर्म के स्वामी ने अपने पत्र दिनांकित 26.08.02, और बयान दिनांकित 13.09.02 उनकी उपस्थिति बाजार में सर्वेक्षणों के आधार पर आकलन योग्य मूल्य और शुल्क देयता के निर्धारण को स्वीकार किया है। इन परिस्थितियों में मैं अधिवक्ताओं के इस तर्क को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ कि घोषित मूल्य एक पूर्ण सेट का है। किसी भी मामले में इन दोनों मात्रा व मूल्य के संबंध में वस्तुओं को गलत घोषित किया गया है। यह सीमा शुल्क इयूटी से बचने के स्पष्ट इरादे से किया गया था।"

इस प्रकार आयुक्त ने अधिनियम की धारा 14 के उद्देश्य के लिए प्रत्यर्थी द्वारा घोषित मूल्य को अस्वीकार कर दिया। आयुक्त ने माना कि 1988 के नियमों के नियम 6ए और 7 के तहत वस्तुओं का आकलन योग्य मूल्य निर्धारित किया जाना था तदनुसार उन्होंने 23,69,838/-माल के आकलन योग्य मूल्य और उन पर सीमा शुल्क के रूप में 13,17,091,. की शुल्क मांग की पुष्टि की इसके अतिरिक्त आयुक्त ने जुर्माना 30,11,525 की अदायगी पर प्रतिशत का विकल्प देते हुए धारा 111(डी) के तहत वस्तुओं को जब्त करने का आदेश दिया हालांकि आर.22 गैस से भरे सिलेंडरों को अधिनियम की धारा 111 डी के तहत पूरी तरह से जब्त कर लिया गया था। आयुक्त द्वारा अधिनियम की धारा 112ए के तहत प्रत्यर्थी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

9. आयुक्त के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी ने न्यायाधिकरण के समक्ष अपील में मामले को उठाया। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है न्यायाधिकरण ने अन्य बातों के साथ-साथ आयातित कांच के बर्तनों के आकलन योग्य मूल्य और जब्त करने के संबंध में आयातक की अपील को इस प्रकार देखते हुए स्वीकार किया,

"4. आक्षेपित आदेश के पठन के बाद हम पाते हैं कि आयुक्त ने चालान मूल्य को एकमात्र आधार पर अस्वीकार कर दिया है कि अधिकांश वस्तुओं को बिना किसी ब्रान्ड

नाम निर्माता का खुलासा किए केवल सामान्य विवरण के साथ घोषित किया गया था। आयुक्त ने यह कारण भी पाया कि कांच की वस्तुएं घोषित से अधिक मात्रा में पायी गई। हालांकि हम पाते हैं कि चालान एवं पैकिंग सूची को प्रविष्ट बिल के साथ संलग्न किया गया था और किसी भी मामले में खेप अलग-अलग वस्तुओं की अलग-अलग देशों से थी इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि माल के विवरण के संबंध में गलत घोषणा की गई है। जहां तक काँच की वस्तुओं की मात्रा में भिन्नता का संबंध है तो मैं अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया है कि उन्होंने टुकड़ों की संख्या के बजाय सेटों की संख्या घोषित की थी”

आयातक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण तर्कसंगत हैं आयातक द्वारा आपूर्तिकर्ता धन के प्रवाह को दर्शाती साक्ष्य का अभाव होने से चालान मूल्य को अस्वीकार करने के लिए कोई मामला नहीं बनाया जाएगा

6. हमारा मानना है कि चालान का मूल्य सही नहीं होने के सबूत के अभाव में और आगे समान वस्तुओं के समकालीन आयात के अभाव में अपीलार्थी द्वारा घोषित मूल्य को लेन-देन मूल्य के रूप में स्वीकार किया जाना

चाहिए व खारिज नहीं किया जावें। आर.22 भरी हुई गैस सिलेंडर की जब्ती के सम्बन्ध में न्यायाधिकरण ने उक्त की जब्ती को इस आधार पर उचित ठहराया कि उक्त माल को एक वास्तविक उपयोगकर्ता लाइसेंस के तहत आयात किया जाना था जो प्रत्यर्थी के पास नहीं था। न्यायाधिकरण ने प्रत्यर्थी पर लगाया जुर्माना इस आधार पर हटा दिया कि चूंकि उसके द्वारा मूल्य वृद्धि को बरकरार नहीं रखा गया था अतः जुर्माना लगाने का कोई कारण नहीं था।

10. इसलिए वर्तमान अपील पेश की गई।

11. श्री के.स्वामी राजस्व की ओर से पेश विद्वान वकील नें न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि चूंकि प्रत्यर्थी ने वस्तुओं को मात्राएँ मूल देश और मूल्य के संबंध में प्रविष्टि का बिल में गलत घोषणाएं की थी इसलिए माल के लेन-देन मूल्य को अधिनियम की धारा 14(1) और 1988 के नियमों के नियम 4(2) के तहत अस्वीकार किया जाए विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि समरूप या समान वस्तुओं को समकालीन आयात के अभाव में नियम 71988 के नियम लागू होंगे। प्रशांत ग्लास वर्क्स पी. लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर (1996 (87) ई.एल.टी.. 518 (Tri.-Del) कलकत्ता में न्यायाधिकरण के निर्णय की सराहना करते हुए जिसने इस न्यायालय द्वारा प्रशांत ग्लास वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम

कलेक्टर ऑफ कस्टम्स 1997(89)ई.एल.टी. A 179 में निर्धारिती की अपील को खारिज करने के कारण अंतिमता प्राप्त की यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ऐसे मामले में जहां दिखाया गया चालान मूल्य अपर्याप्त अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण है तो ऐसा चालान और उसमें घोषित मूल्य महत्वहीन होगा और विभाग को यह दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि चालान मूल्य दोषपूर्ण है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

12. इसके विपरीत श्री तरुण गुलाटी विद्वान वकील प्रत्यर्थी के लिए व उपस्थित हुए। तर्क दिया कि निर्णयों के आयशर ट्रेक्टर्स लिमिटेड हरियाणा बनाम हरियाणा के सीमा शुल्क आयुक्त मुंबई (2001) 1 एस.सी.सी.315. और वर्षा प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड और अन्य। बनाम भारत संघ और अन्य(2009) 3 एस.सी.सी 365. के आलोक में स्थिति स्पष्ट है कि यह राजस्व की जिम्मेदारी है कि यह स्थापित करें कि आयातक द्वारा घोषित लेन-देन मूल्य सही नहीं है। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि मौजूदा मामले में राजस्व ऐसे किसी भी सामग्री को रिकॉर्ड पर लाने में विफल रहा है जो चालान में अवमूल्यन का संकेत दे। इसलिए आयात द्वारा घोषित मूल्य को स्वीकार किया जावे। यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हुए कि कुछ कांच के बर्तनों की मात्रा की घोषणा करने के दृग् में कुछ विसंगति हो सकती है जितना हो सके प्रत्यर्थी ने मात्रा को सेट में घोषित किया था जबकि आयुक्त ने वास्तविक संख्या को देखा था

वकील ने जोर देकर कहा कि आकलन योग्य मूल्य विशेष रूप से जब प्रवेश का बिल चालान और पैकिंग सूची द्वारा समर्थित था। के सम्बन्ध में कोई गलत घोषणा नहीं की थी। इस प्रकार निवेदन किया कि इस अपील में कोई सार नहीं है।

13. इस प्रकार संक्षिप्त मुद्दा जो निर्धारण के लिए उत्पन्न होता है वह आयातित वस्तुओं के आकलन योग्य मूल्य की गणना करने के तरीके से संबंधित है संदर्भ के लिए अधिनियम की धारा 2(41),14(1) जैसा कि यह प्रासंगिक था और 14(1-ए)उपयोगी है जो निम्नानुसार है:

"2(41) "मूल्य" से किसी वस्तु के संबंध में उसका वह मूल्य अभिप्रेत है जो धारा 14 की उप.धारा 1 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया है :

14. मूल्यांकन के उद्देश्यों के लिए माल का मूल्यांकन.

(1) सीमा शुल्क अधिनियम 1975 के (51 के प्रयोजनों के लिए 1975) या उस समय लागू कोई अन्य कानून के प्रयोजनों के लिए जिसके तहत किसी भी माल पर सीमा शुल्क लगाया जाता है। ऐसे सामान का मूल्य यह वह कीमत मानी जाएगी जिस पर अंतराष्ट्रीय व्यापार के दौरान, जैसा भी मामला हो, आयात या निर्यात के समय और स्थान पर डिलीवरी के लिए ऐसे या उसके जैसे सामान को आम तौर पर बेचा जाता

है, या बिक्री के लिए पेश किया जाता है जहां-

(ए) विक्रेता और खरीदार को एक-दूसरे के व्यवसाय में कोई दिलचस्पी नहीं है या

(बी) उनमें से एक दूसरे के व्यवसाय में कोई दिलचस्पी नहीं है, और कीमत बिक्री या बिक्री की पेशकश के लिए एकमात्र विचार है: बशर्ते कि ऐसी कीमत की गणना उस तारीख को लागू विनियम दर के संदर्भ में की जाएगी जिस दिन धारा 46 के तहत प्रविष्टि का बिल प्रस्तुत किया जाता है, या शिपिंग निर्यात का बिल या बिल, जैसा भी मामला हो, धारा 50 के तहत प्रस्तुत किया जाता है।

(1 ए) उप. धारा (1) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए आयातित वस्तुओं के संबंध में उस उप. धारा में निर्दिष्ट मूल्य बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित कि जाएगी।

14. 1988 के नियमों के नियम 2 (एफ) 3 और 4 को निकालना भी उपयोगी होगा जो प्रावधान करते हैं कि:

"2(एफ) "लेन-देन मूल्य" का अर्थ है निर्धारित मूल्य

इन नियमों के नियम 4 के अनुसार।

3. मूल्यांकन की विधि का निर्धारण- इसके लिए इन

नियमों को उद्देश्य के लिए-

(i) आयातित वस्तुओं का मूल्य लेन.देन मूल्य होगा

(ii) यदि उक्त प्रावधानों; 1 द्ध के तहत मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है तो मूल्य नियम 5 से 8 तक के तहत निर्धारित होगा।

4. लेन.देन मूल्य।(1)द्द आयातित वस्तू कालेन.देन का मूल्य वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत होगी जो माल के लिए जब भारत को निर्यात के लिए बेचा जाता है जिसमें इन नियमों के नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार समायोजन किया गया हो।

(2) उपरोक्त उप.नियम(1) के तहत आयातित वस्तुओं का लेन.देन मूल्य स्वीकार किया जाएगा:

बशर्ते कि:-

(a) खरीददार द्वारा माल के स्वरूप अथवा उपयोग के अलावा में कोई प्रतिबंध नहीं हैं

(i) कानून द्वारा या भारत में प्राधिकारीयो द्वारा अधिरोपित या अपेक्षित हैं

(ii) उस भौगोलिक क्षेत्र को सीमित करें जिसमें माल

को फिर से बेचा जा सकता है या

(iii) माल के मूल्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करता है

(बी) बिक्री या मूल्य एक ही शर्त के अधीन नहीं है। वस्तुओं के संबंध में प्रतिफल उसके लिए एक मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है

(सी) खरीदार द्वारा माल की किसी भी बाद में पुनर्विक्रय निपटान या उपयोग की आय का कोई भी हिस्सा सीधे जमा नहीं होगा। या अप्रत्यक्ष रूप से विक्रेता कोए जब तक कि नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार कोई उचित समायोजन न किया जा सकता है

(डी) खरीदार और विक्रेता संबंधित नहीं हैं या जहाँ क्रेता और विक्रेता संबंधित हैं कि लेनदेन मूल्य सीमा शुल्क के उद्देश्यों के लिए उप.नियम (3) के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य है।

(3)(a) जहाँ खरीदार और विक्रेता संबंधित हैं लेनदेन मूल्य स्वीकार्य होगा बशर्तों कि आयोजित माल की बिक्री की परिस्थितियों की जांच यह इंगित करती है कि संबंध ने

कीमत को प्रभावित नहीं किया।

(b) संबंधित व्यक्तियों के बीच बिक्री में लेनदेन मूल्य स्वीकार्य होगा जब भी आयातक यह दर्शाता है कि माल का घोषित मूल्य निम्नलिखित मूल्यों में से एक के करीब है कि मूल्य का निर्धारण एक ही समय या उसके आसपास लगाया गया:-

(i) समान वस्तुओं या समरूप वस्तुओं का लेनदेन मूल्य। भारत में असंबंधित खरीदारों को बिक्री में

(ii) समान वस्तुओं या समरूप वस्तुओं के लिए कटौती मूल्य।

(iii) समान वस्तुओं या समरूप वस्तुओं के लिए संगणित मूल्य।

बशर्ते कि तुलना के लिए उपयोग किए गए मूल्यों को लागू करने में वाणिज्यिक स्तर मात्रा स्तर में प्रदर्शित अंतर का उचित हिसाब लिया जाएगा जो कि इन नियमों के नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार और बिक्री में विक्रेता द्वारा की गई लागत जिसमें वह और खरीदार संबंधित नहीं हैं का समायोजन होगा।

(c) इस उप.नियम के खंड(बी) के प्रावधान के तहत प्रतिस्थापन मूल्यों को इसके तहत स्थापित नहीं किया जाएगा"

15. अधिनियम की धारा 14(1) (जैसा कि यह अधिनियम में मौजूद थी प्रासंगिक समय) और 1988 के नियमों के नियम 4 दोनों में यह प्रावधान है कि एक आयातक द्वारा वाणिज्य के अनुक्रम सामान्य में विक्रेता को जो भुगतान किया जाता है उसे अधिनियम की धारा 14(1) और नियम;2 में विनिर्दिष्ट विशेष परिस्थिति की अभाव में लेनदेन मूल्य के रूप में लिया जाएगा इसलिए सीमा शुल्क अधिकारी आयातक की घोषणा से बाध्य हैं जब तक कि कुछ समकालीन साक्ष्यों के आधार पर राजस्व प्रदर्शित नहीं करें कि चालान सही मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं करता है। (देखिए: सीमा शुल्क आयुक्त मुंबई बनाम जे.डी. ऑर्गेकेम लिमिटेड (2008)16 एससीसी 576) और सीमा शुल्क आयुक्त कलकत्ता बनाम दक्षिण भारत टेलीविजन(पी)लिमिटेड (2007) 6 एस सी सी 373.) यह केवल तभी होता है जब नियम 4 के तहत लेन.देन मूल्य को अस्वीकार कर दिया जाता है कि नियम 3 (ii) के आधार पर 1988 के नियम 5 से 8 के तहत मूल्य क्रमिक रूप से निर्धारित किया जाएगा। (देखिए: के आयुक्त सीमा शुल्क मुंबई बनाम ब्यूरो वेरिटास और अन्य (2005)3 एससीसी 265) और आयशर ट्रेक्टर्स लिमिटेड(सुपरा)नियम 5 प्रावधाननुसार लेन.देन

मूल्य की गणना तत्समय आयातित समान वस्तुओं के आधार पर की जानी चाहिए जबकि नियम 6 प्रावधान करता है कि गणना तत्समय भारत में आयातित समरूप वस्तुओं के मूल्य के आधार परकी जानी चाहिए। भारत में समकालीन आयात के अभाव में मूल्य का निर्धारण नियम 7 के तहत कटौती की प्रक्रिया के आधार पर किया जाना है. यदि यह संभव नहीं है तो नियम 7-ए का सहारा लेना होगा और यदि लेन.देन मूल्य की गणना करने के लिए इनमें से किसी भी तरीके का उपयोग नहीं किया जा सकता है तो नियम 8 प्रावधान करता है कि लेन.देन मूल्य का निर्धारण युक्तियुक्त माध्यम जो कि इन नियमों के प्रावधान और अधिनियम की धारा 14 की उप.धारा (1) के सिद्धांतों और समान्य प्रावधानों के अनुरूप किया जा सकता है।

16. वर्षा प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) में यह न्यायालय इसी तरह की स्थिति से रूबरू था जहां आयातक ने मूल्य विवरण और गुणवत्ता के संदर्भ में गलत घोषणा की थी न्यायालय का मानना था कि;

5 प् ; 2008 द्द 16 एससीसी 576।

6 प् ; 2007 द्द 6 एससीसी 373।

7 प् ; 2005 द्द 3 एससीसी 265।

"यह ध्यान रखना होगा कि एक बार जब माल की प्रकृति की गलत घोषणा कर दी जाती है तो आयातित माल पर घोषित मूल्य अस्वीकार्य हो जाता है। यह किसी भी तरह से इस कानूनी स्थिति को प्रभावित नहीं करता है कि बोझ सीमा शुल्क प्राधिकरण पर है कि माल की गलत घोषणा या मूल्यांकन या घोषित मूल्य वास्तविक लेन.देन मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं करता है। इस मामले को स्थापित करे।"

17. इसी तरह से सीमा शुल्क कलेक्टर कलकता बनाम संजय चंदीराम(1995)4 एससीसी 222 में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा यह देखा गया कि:

"ये नियम इस धारणा पर आधारित हैं कि मालका वास्तविक अथवा देय कीमत आयातक द्वारा सच्चे तौर पर की गई है परन्तु यदि माल के उद्भव का प्रमाणपत्र झूठा पाया जाता है तो चालान में घोषितमूल्य को सच्चा स्वीकार नहीं किया जा सकता।"

18. विवादित आदेश के पढ़ने से यह स्पष्ट है कि अभिलेख उभरने वाले तथ्यात्मक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए न्यायाधिकरण 1988 के

नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 14(1) के तहत आयातित वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने हेतु परिकल्पित प्रक्रिया को लागू करने में विफल रहा है। न्यायाधिकरण के आदेश विशेष रूप से उपरोक्त निकाले गए पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ने के बाद हम आश्चर्य हैं कि न्यायाधिकरण के निष्कर्ष में आक्षेपित क्रम का पैरा 6 (सुप्रा) स्पष्ट रूप से विकृत है बनाए नहीं रखा जा सकता है विशेष रूप से इस तथ्य के प्रकाश में कि बाजार से राजस्व द्वारा एकत्र की गई जानकारी जिसकी सत्यता पर प्रत्यर्थी द्वारा सवाल नहीं उठाया गया था की न्यायाधिकरण द्वारा जाँच की नहीं गई। महत्वपूर्ण रूप से न्यायाधिकरण ने अधिनियम की धारा 108 के तहत 13 सितंबर 2002 को प्रतिवादी द्वारा दिए गए बयान की भी अनदेखी की है जिसमें उसने स्वीकार किया है कि घोषित वस्तुओं और सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा वास्तव में जब्त की गई वस्तुओं के बीच अंतर था और कि बाजार पूछताछ के बाद आया मूल्य स्वीकार्य था उसे प्रत्यर्थी द्वारा तो आयुक्त और ही न्यायाधीकरण के समक्ष उक्त कथन का विरोध किया गया था ।

19. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में हम इस राय के हैं कि न्यायाधिकरण को पूरे मामले की नए सिरे से जांच करने की आवश्यकता है विशेष रूप से मूल्यांकन के तरीके मोचन जुर्माना और दंड के संबंध में नतीजतन अपील स्वीकार की जाती है विधि अनुसार दोनों पक्षों को सुनवाई

का अवसर प्रदान कर नए सिरे से विचार करने के लिए न्यायाधिकरण को वापस भेजा जाता है ।

20. खर्च के बारे में कोई आदेश नहीं होगा

अपील स्वीकार की गई ।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी. श्रीमती संदीप कौर आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।